न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 26 / 2020
जीसीएमएस न0:– 2020 / 00081
दायर दिनांक :– 27 / 11 / 2020
निर्णय दिनांक :– 19 / 09 / 2023

अनवान

1. श्री सुखलाल पिता श्री वेणीराम निवासी जोधपुरा, तह0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द

————अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी,पटवार हल्का जोधपुरा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया **प्रकरण संख्या 135सन् 2020, ना0क0 निर्णय दिनांक 19.11.2020**

उपस्थित :–

1– श्री आर0 एल0 रावत, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 19.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 392 रकबा क्रमशः 59–06 बीघा मे से नाजायज कब्जा 0.03 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये वार्षिक लगान रूपये 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50 / – आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 19.11.2020 को पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक सम्यक प्रकिया अपनाये आनन–फानन में अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह काबिल खारीज है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर के आदेश पारित किया है, अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य सबूत का अवलोकन किये बिना जो आदेश पारित किया, वह काबिल खारीज के है, अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब देते हुये अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये, उनका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नहीं किया है, और ना ही अपने आदेश में उनका विवेचन किया है, और मनमकसूद तरीके से अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया है, जो उपेक्षापूर्ण होकर मिलीभगत कर आदेश पारित किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अनुचित दबाव में उक्त आदेश पारित किया है, और प्रस्तुत जवाब तथा साक्ष्य दस्तावेजों व प्रस्तुत कानूनी नजरीयों का बिना अवलोकन किये, जिनका अधीनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश में कोई हवाला नहीं दिया, और आदेश पारित किया है, जिससे स्पष्ट होता है, कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट के साथ न्याय करना ही नहीं चाहता था, इसलिये पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही दुषित होकर अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मनमकसूद तरीके से हल्का पटवारी से जो रिपोर्ट मांग कर कार्यवाही की है, वह गलत रूपेण की है, अपीलाण्ट अन्य पिछडा वर्ग का व्यक्ति है, अपीलाण्ट विवादग्रस्त भूमि का सदभाविक क्रेता है, जिसने प्रतिफल राशि अदा करके विक्रेता से उक्त विवादाग्रस्त स्थल क्रय किया है, और मौके पर काबिज है, वहां चारों सघन आबाद है एवं अपीलाण्ट से पूर्व विक्रेता देवीलाल भील उक्त भूमि पर अपने परिवार सहित निवासरत था, एवं देवीलाल भील से उसके पिता उक्त भूमि पर परिवार सहित निवासरत थे, अतः विवादग्रस्त स्थल पुश्तैनी आबादी में है, और पुश्तेनी आबादी में होने से अपीलाण्ट के पूर्व विक्रेता देवीलाल भील ने ग्राम पंचायत फियावडी के यहां आबादी भूमि का पट्टा बनाने का आवेदन किया था, जिस पर ग्राम पंचायत फियावडी के सक्षम प्राधिकारी सरपंच व विकास अधिकारी ने मौके की पूर्ण रूप से जांच करके बाद जांच विक्रेता देवीलाल का पुश्तैनी कब्जा, आधिपत्य होने से विक्रेता देवीलाल को वादग्रस्त स्थल का आबादी भूमि का विक्रय–विलेख का पट्टा जारी किया गया, तत्पश्चात् विक्रेता देवीलाल ने ग्राम पंचायत फिरूावडी द्वारा जारी पट्टा क्रमांक पसरा/23–क/1837 रसीद संख्या 44 दिनांक 09.11.2010 को राशि 200/– जमा करवाकर ग्राम पंचायत फियावडी के संकल्प संख्या 02(9) के अनुसार देवीलाल के नाम पर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी ने जांच करके सरपंच द्वारा जारी पट्टा एवं उक्त पट्टे की जांच विकास अधिकारी द्वारा कर अपने हस्ताक्षर मय सील से पट्टे को प्रमाणित किया गया, उक्त पट्टे को विधि अनुरूप अपीलाण्ट को विक्रेता देवीलाल ने उपपंजीयक कुंवारिया के यहां दिनांक 05.01.2011 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 1 की पृष्ठ संख्या 12, क्रम संख्या 12/2011 पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 की जिल्द संख्या 01 की पृष्ठ संख्या 65 से 68 पर चस्पा किया गया, उक्त पंजीकृत पट्टे के आधार पर अपीलाण्ट ने 44×54 अर्थात 2376 वर्गफीट के भूखण्ड को जरिये विक्रय पत्र आबादी प्लॉट किमतन रू 140000/– में अपीलाण्ट ने विधि अनुरूप प्रतिफल राशि अदा कर उक्त विक्रय–विलेख का पंजीयन उप पंजीयक, कुंवारिया के यहा दिनांक 24.09.2018 को पंजीकृत कराया, तब से अपीलाण्ट उक्त विवादाग्रस्त भूखण्ड पर परिवार सहित

काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय ने जो बेदखली का आदेश पारित किया है, उसमें आराजी संख्या 392, रकबा 0.03 पर अतिक्रमण पाया जाने को आधार बनाते हुये बेदखली का आदेश पारित किया हैद्व वह सर्वथा विधि–विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है, आराजी संख्या 392 में ग्राम जोधपुरा का करीब आधा गावं बसा हुआ है, और लोगों के पक्के मकान निर्मित है एवं आवासीय प्रयोजनार्थ कार्य में काम में लेते चले आये है, अपीलाण्ट आवासीय पट्टे के आधार पर एवं पंजीकृत विक्रय–विलेख के आधार पर पुश्तैनी रूप से काबिज है एवं अपीलाण्ट स्वामित्वधारी है, स्वामित्वधारी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कानुनन चलने योग्य नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से जवाब पेश किया गया, उसके साथ ग्राम पंचायत फियावडी द्वारा आबादी भूमि के विक्रय–विलेख की प्रति एवं पट्टे को उप पंजीयक कुंवारिया द्वारा पंजीकृत पट्टे की प्रति एवं अपीलाण्ट के नाम पर अपीलाण्ट द्वारा खरीद कर पंजीकृत विक्रय–विलेख की प्रति पेश की गई, ये सभी दस्तावेज अपीलाण्ट के एवं अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी के स्वामित्व के दस्तावेज होना प्रतीत होता हैद्व फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजों का बिना अवलोकन व गौर किये अपीलाण्ट की बेदखली का जो आदेश पारित किया है, काबिल खारिज है, अधीनस्थ न्यायालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित नजीर हुक्म सिंह बनाम राजस्थान राज्य में ये प्रतिपादित किया है कि " यदि कोई व्यक्ति सवामित्वधारी है, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है," इस प्रकरण में अपीलाण्ट स्वामित्वधारी होने के बावजूद जो बेदखली का आदेश पारित किया गया है, वह काबिल खारीज है। अधीनस्थ न्यायालय राजनैतिक रूप से पूर्वाग्रहित है एवं अपीलाण्ट के साथ विधि के विरूद्ध कृत्य करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना कराने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.11.2020 के दिन ही पालना हेतु हल्का पटवारी जोधपुरा को तहरीर जारी कर दी है, एवं विवादग्रस्त स्थल से अपीलाण्ट को बेदखल करने के लिये आदेशित किया गया है एवं येनकेन प्रकारेण अपीलाण्ट को उसकी स्वामित्व की जमीन से बेदखल करने पर आमदा है, अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ,1. हुकुम सिंह बनाम सरकार 2. जयराम बनाम महेश कुमार , 3. राजस्थान राज्य बनाम पदमावदी देवी व अन्य पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 392 रकबा क्रमशः 59–06 बीघा मे से नाजायज कब्जा 0.03 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, तथा अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरें , अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 392 रकबा कमशः 59–06 बीघा मे से नाजायज कब्जा 0.03 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण है, उक्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में है, एवं माननीय उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार(1554/2004), में पारित निर्णय एवं उप शासन सचिव राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राज0 सरकार के परिपत्र कमांक प.10(3) राज–6/2001/पार्ट/142 दिनांक 06.09.2022 से प्रभावित होने से नियमन एवं आवंटन के विधिक प्रावधान नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिकमी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द